ADG-13 5/12/12

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(MISCELLANEOUS JURDICIAL JURISDICTION)

M.J.C. NO. ________________/2012

(Arising out of order dated 23.11.2011passed in C.W.J.C. No. 18071 of 2011)

Madhukala Kumari, ... Petitioners.

Versus

The State of Bihar and ors. ......Contemnors/ Opposite Parties.

Sub :- Contempt petition.

Index

Sl. No.	Annexures	Particulars	Page no.
1		Petition with Affidavit	1 to 16
2	Annexure-1	A copy of order dated 23.11.2011	17-18
3	Annexure-2, 2A	A copy of order dated 27.04.2011	19-24
4	Annexure 3	A copy of application dated 1.12.2011.	25-26
5.	Annexure-4	A copy of representation dated 2.12.2011	27-28
6	Annexure-5	Copies of representation dated 3.12.2011	29-32
		Vakaltnama.	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(MISCELLANEOUS JURDICIAL JURISDICTION)

M.J.C. NO. ________________/2012

(Arising out of order dated 23.11.2011passed in C.W.J.C. No. 18071 of 2011)

In the matter of an application Under Section 10 and 12 of the Court of Contempt Act read with Article 215 of the Constitution of India.

And

In the matter of

Madhukala Kumari, W/O Amar Lal Sah, R/O Village - Manjoura, P.S. - Bihariganj, District - Madhepura. ....**Petitioner.**

Versus

1. The State of Bihar .

2. Mr. Amarjeet Sinha, the Principal Secretary, Education Department, Government of Bihar, Patna.

3. Mr. Ashutosh , The Director Primary Education, Government of Bihar, Patna.

4. Mr. Miland sinha, The District Education Officer, Madhepura.

5. Mr. Ambika Prasad , The District Programme Officer (Establishment) Madhepura.

6. Md. Nesar Alam, The Block Development officer , Udakishunganj.

7. Mr. Mohan Sharma, The Block Education Officer, Udakishunganj, District - Madhepura. ....Contemnors **/ Opposite Parties.**

To,

The Hon'ble MS Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her Companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble application on behalf of the petitioner named above.

MOST RESPECTFULLY SHEWETH :-

1. That the instant petition is directed for initiation of a contempt Proceeding against the guilty contemnor / Opposite Parties who appeared to have deliberately and willful violation the interim order dated 23.11.2011 by this Hon'ble Court passed in C.W.J.C. No. 18071/2011 (Madhukala Kumari Vs. The State of Bihar and ors.) by the Hon'ble Mr. Justice Ramesh Kumar Datta one of the Hon'ble Judge of this Hon'ble Court.

   A copy of the order dated 23.11.2011 is annexed as Annexure -1 to this petition.

2. That for clarity and brevity certain facts of the case are being given hereunder.

3. That it is stated here that in 2004 the State Govt. published the guideline for appointment on the post of Panchayat

Shiksha Mitra in which minimum qualification was intermediate or equivalent and was only for Eleventh months.

4. That before initiating the appointment procedure the Shukh Suvidha Committee headed by the Mukhiya of Manjoura Gram Punchayat the Aain Sabha and other formulates were followers as per guideline.

5. That it is state here that the petitioner belong to B.C. category and having 520 marks out of 900 in Intermediate.

6. That it is stated here that in the Panchayat total 24 vacant seats was there. out of 24 , 9 seats was for male, 9 for female and 6 for Urdu knowing teacher.

7. That it is further stated here that so far 9 seats reserved for female is concern as per roaster 5 for UR (F), 2 for OBC (F), 1 for BC (F) and 1 for SC(F).

8. That it is stated here that the petitioner being eligible for the same applied for the post of Panchayat Shiksha Miotra form the panchayat.

9. That the Sukh Subidha Committee headed by the Mukhya after scrutinized each and every form, prepared the merit list in which petitioner found place at Serial No.5.

10. That it is stated here that the Sukh Subidha Committee vide meeting dated 08.05.05 took decision to first of all verify the original documents of the applicants whose name appeared in merit list and accordingly direction was issued to all the empanelled candidate for production of their original certificate on 18.05.05.

11. That it is relevant to state here that on 18.05.05 all the empanelled applicants produced their original cerificate however Kamlesh Kumar Mishra and Bharti Kumari as well as Amit Kumar failed to submit their original certificate before the appointing committee.

12. That it is further stated that the thereafter the appointing authority decided to issue appointment letter from amongst the candidates who produce their original certificate.

13. That it is relevant to state here that vide memo No. 4/5/05 dated 19.05.05 appointment letter issued to petitioner by the appointing authority.

14. That in the light of memo dated 19.05.05 the petitioner submitted her joining before the Headmaster Middle School Manjoura, Block-Udhakishuganj, District-Madhepura which has been duly accepted on 20.05.05 and petitioner started discharging her duty to the satisfaction of authority concern.

15. That it is further stated here that vide letter No. 01.06.07 dated 28.04.06 issued by the common signature of panchayat Secretary and Mukhiya by which service of petitioner was extended for further eleventh months.

16. That it is stated here that as per government decision the service of app Panchayat Shiksha Mitra was converted as punchayat Teacher w.e.f. 01.07.06 And their service tenure will till attending the age of 60 years.

17. That it is relevant to state here that the petitioner is discharging her duty form the date of her initial appointment but no one filed any complaint with regard to the apoointment of panchayat Shiksha Mitra regard to the appointment of panchayat Shikha Mitra in Gram

Panchayat Manjouna Block-Udakishunganj, District-Madhepura.

18. That it is relevant to state here that when the fixed salary of Panchayat Teacher enhanced as 4,000/- per month then several complain was made before the then D.S.E. Madhepura.

19. That vide letter No. 295 dated 02.05.07 the D.S.E. directed the B.E.E.O. Udhakisunganj to submit all the record of apoointment of Panchayat Shiksha Mitra of Manjouna Panchayat Block Udakishunganj, District Madhepura.

20. That it is stated here that One Kamlesh Kumar Mahto (Respondent No. 7) filed complain before the Chief Minister janta Darbar on 26.11.07, the same has been forwarded to D.M. Madhepura for further enquiry.

21. That it is further humbly submitted here that One Bharti Kumari (Respondent No-8) also filed complaint before the Lokayukta Bihar, Patna on 26.02.08 against the illegal appintment done inManjouna Panchayat, Block Udakishunganj, District-Madhepura.

22. That after going though the complain (as contained in Annexure-5) it is apparent that it is totally vague complain as no reason has been assigned nor name of any of the appointed Panchayat Teacher has been mentioned.

23. That it is further relevant to state here that form Complain Petitioner it is also apparent that Bharti Kumari has questioned the appointment held in 2005 which was limited for 11 months only.

24. That it is relevant to state here that the appointment ofpetitioner at the relevant time i.e. in 2005, was for 11 months only. Bharti Kumari has not challednged the absorption of petitioner held on the post of Panchayat teacher. As such the complain by which the apoointment held in 2005 has been challenged is of no meaning.

25. That it is stated here that the Deputy Secretary of Lokayukta Bihar, Patna vide letter No. 4319 dated 28.04.08 informed the D.M. Madhepura with regard to illegal appointment done by the Mukhiya and Panchayat Secretary of Mamnouna Panchayat, Block Udakishunganj,

District-Madhepura and further requested to initiate enquiry and submit the report before the Lokayukta.

26. That at this stage it is relevant to state here that the entire direction of Lokayukta is totally without jurisdiction. The Lokayukta would have rejected the application of Bharti Kumari on the sole ground for want of jurisdiction.

27. That it is stated here that vide letter No. 183 dated 25.03.08 the District Public Graevance Officer, madehpura directed the B.D.O. Udakishunganj to enquire the matter nad submit report .

28. That the Block Development Officer, Udakishunganj, through its enquiry report Grievance Section Madhepura in which it clearly indicated that on the original certificate of kamlish Kumar Mehta and Bharti Kumari deposited with the Bank or they have taken loan of PMRY and the same has not been returned or they have not repaired the loan.

29. That it is humbly submitted here that so far the enquiry dated 16.05.08 is concerned it is humbly submitted here that the enquiry was done by the B.D.O. in the capacity of Appellate Authority as per 2006 Rule.

30. That it is stated here that the Kamlesh Kumar Mehta and Bharti Kumari also filed appeal before the Appellate Authority Madhepura against the so-called illegal appointment done by the Mukhiya on 23.06.09

31. Thatagain it is relevant to state here that form the same cause of action, Kamlesh Kumar Mehta and Bharati Kumari have filed different set of complain before difference authority which is not permissible in the eyes of low.

32. That it is further stated here that vide letter No. 867 dated 11.10.10 the Aoppellate Authority, Madhepura issue notice to all the appointed Panchayat Teacher in year 2005 in Manjoura Gram Panchayat, Block Udakishunganj, District-Madhepura and directed them to appear before the Appellate Authority on 27.10.10

33. That in pursuant to above said direction of Appellate Authority all the appointed Panchayat Teacher including the petitioner appeared before the Appellate Authority and directed them to submit photocopy of their original

Certificate. panchayat Teacher including petitioner submitted the photocopy of their respective originals.

34. That thereafter the Appellate Authority did not inform petitioner for any other Panchayat Teacher about next date of hearing so that they would have placed their cases before the Appellate Authority.

35. That it is relevant to state here that after issuance of letter dated 28.04.08 the D.S.E. Madhepura through its order contained in letter No. 815 dated 16.11.10 transferred the complain of Kamlish Kumar Mehta and Bharti Kumari before the Appellate Authority Madhepura.

36. That vide order dated 27.04.2011 passed in Appeal case No. 58/09 by the District Teacher Employment Appellate Authority (hereinafter referred as Appellate Authority) Madhepura so far it relates to petitioner whereby and where under it has been held that the appoint of petitioner is illegal as Panchayat Teacher in.

A copy of order dated 27.04.2011 is being annexed as Annexure -2 to this application.

38. That against the order dated 27.04.2011 (Annexure -2) the petitioner filed C.W.J.C. No. 18071/11 (Madhukala Kumari Vs. The State of Bihar and Others.) before this Hon'ble High Court. On 23.11.11 matter was heard and the Hon'ble Court may pleased to given 4 week time for state to file courter affidavit and in the meantime the order of appellate authority Madhepura dated 27.04.2011 shall remain stayed. (A copy of order dated 23.11.2011 has already been annexed as Annexure-1 to this application.)

39. That thereafter petitioner submitted a application along with order passed by Hon'ble Court before the Block Development Officer , Udakishunganj District Madhepura and requested him to take appropriate action with regard to her arrears of salary as well as current salary but no action has been taken by the opposite parties till date.

A copy of application dated 1.12.2011 being annexed as Annexure - 3 to this application.

40. That it is stated here that again petitioner filed representation before the Block Education officer

Udakishunganj District - Madhepura on 02.12.2011 and requested him to issue appropriate direction for arrears of salary as well as current salary but no action has been taken in this regard.

A copy of representation dated 2.12.11is being annexed as Annexure -4 to this application.

41. That it is relevant to state here that on 03.12.11 the petitioner filed representation along with interim order dated 23.11.11 before the District Education Officer and District Program officer Mdhepura and requested them to pay the arrears of salary as well as current salary but no appropriate action has been taken by the opposite parties.

Copies of representation dated 3.12.2011 are being annexed as Annexure -5 series to this application.

42. That it is relevant state here that the petitioner is still working but salary has not been paid to her till date.

43. That it is humbly submitted here that the respondent / opposite party did not pass any order/ direction after several application filed by petitioner in the light of order dated 23.11.2011 passed in C.W.J.C. No. 18071of 2011.

44. That again petitioner filed representation before the Block Education Officer Udakishunganj on 21.11.2012 and further requested him to take appropriate action with regard to her salary but no action has been taken and petitioner suffer from starvation on account of the malfdic intention of opposite parties.

45. That the opposite parties / contemnor are sitting tight over the matter have no respect for the court of law which is well within their knowledge.

46. That the action of opposite parties/ contemnor are also not paying the salary at petitioner after the staying of order passed by Appellate Authority Madhepura is contemptuous and hence the opposite parties are liable to be punished severally as they have got no respect for the order of this Hon'ble High Court by which they are to be fully committing contempt of Court.

It is therefore prayed that Your Lordships may graciously be please to issue notice to the guilty opposite party / Contemnors as to why contempt proceeding be not initiated against them for violation of order dated 23.11.11 and after hearing the parties be further pleased to award suitable punishment to the concerned opposite parties/ contemnors for willful violation of order dated 23.11.11 in C.W.J.C. No. 18071 of 2011 and further be pleased to directed to comply the order in question in its true spirit.

And /Or

Pass such other order(s) as Your Lordships may deem fit and proper.

And for this petitioner shall ever pray.

Affidavit

I, Madhukala Kumari, aged about 34 years, W/O Amar Lal Sah, R/O Village - Manjoura, P.S. - Bihariganj, District - Madhepura do hereby solemnly affirm and state as follows :-

1. That I am petitioner this case and as such I am well acquainted with the facts and circumstances of the case.

2. That I have gone through the contents of this case and I have understood the same.

3. That the statements made in Paragraph No. 2 to 46 are true to my knowledge and those made in paragraph nos.nil are based on information derived from the records and rests are by way of submission before this Hon'ble Court.

4. That the annexures are true/ photo copies of their respective originals.

3.

Annexure - 1

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.18071 of 2011
Madhukala Kumari
Versus
The State Of Bihar & Ors

---

2. 23.11.2011 Learned counsel for the petitioner submits that the District Teachers Employment Appellate Authority, Madhepura, instead of passing a final order in Appeal Case No.58 of 2009, has issued an enquiry report dated 27.4.2011 to the Lokayukta, Bihar. On account of the said enquiry report, the petitioner is not being paid her salary since April, 2011.

It is further submitted that even the so called enquiry report, which the Appellate Authority has no jurisdiction to make or issue under Rule 18 of the Bihar Panchayat Primary Teachers (Appointment and Service Conditions) Rules, 2006, has been made without hearing the petitioner and in violation of the principles of natural justice.

Issue notice to respondent Nos. 7 and 8. Requisites, etc. both under ordinary process and registered cover with A/D must be filed within one week, failing either of which the writ application shall stand rejected

without further reference to a Bench.

Put up after service of notices in the Urgent Matters list.

As prayed for, four weeks' time is allowed to learned counsel for the State to file counter affidavit in the matter, which must meet the contention of violation of the principles of natural justice as also regarding the jurisdiction of the Appellate Authority to submit the said report instead of deciding the matter when an appeal is filed before it.

In the meantime, the impugned report dated 27.4.2011 shall remain stayed.

VPS

Sd/-
(Ramesh Kumar Datta, J.)

CERTIFIED ... PHOTO COPY
For Joint ... gistrar (J)
Patna High Court
... 1872
29-11-11

29/11/2011

Annexure-1 -17

जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, मधेपुरा
अपील वाद संख्या :– 58 / 2009

भारती कुमारी एवं कमलेश कुमार मेहता ———————— अपीलकर्ता

बनाम

मंझोरा पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव एवं अन्य ———————— प्रतिवादी

जाँच प्रतिवेदन

27-04-2011

1. जिला शिक्षा अधीक्षक मधेपुरा ने पत्रांक 385 दिनांक 3 मार्च 2011 के द्वारा सूचित किया कि भारती कुमारी एवं कमलेश कुमार मेहता का परिवाद पत्र की जांच प्राधिकार द्वारा किया जा रहा है एवं यह मामला माननीय लोक आयुक्त बिहार, पटना से सम्बन्धित है अतः शीघ्र जांच कर जांच प्रतिवेदन शीघ्र भेजा जाय ताकि माननीय लोक आयुक्त बिहार पटना को भेजी जा सके। उक्त पत्र के आलोक में यह जांच प्रतिवेदन आदेश हेतु माननीय लोक आयुक्त बिहार पटना को भेजने हेतु जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जा रही है।

2. दिनांक 15.06.2009 को प्राधिकार के यहाँ भारती कुमारी पति दिवाकर राम ने इस आशय का आवेदन दिया कि शिक्षा मित्र में नियोजन हेतु मंझोरा पंचायत अंचल उदाकिशुनगंज जिला मधेपुरा में आवेदन दी थी। इनका चयन क्रमांक 9 था और इनको दस वेटेज प्राप्त था। इनका आरोप है कि मंझोरा पंचायत नियोजन इकाई ने नियोजन का पूरा कार्यवाही एक ही दिन में दिनांक 08.05.2005 को किया जो दर्शाता है कि नियोजन मे गडबड़ी की गई है। इनका यह भी आरोप है कि आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नियोजन में नहीं किया गया। तथा अति पिछड़ा वर्ग में एक सीट पुरूष के लिए आवंटित था और दो सीट महिला के लिए आवंटित था लेकिन चयन समिति ने तीनों सीट पर पुरूष अभ्यर्थियों का नियोजन किया है। इसी तरह पिछड़े वर्ग में एक सीट पुरूष और दो सीट महिला के लिए आवंटित था पर तीनों सीट पर महिला का नियोजन किया गया है जो गलत है।

20
-18-

3. कमलेश कुमार मेहता का आवेदन माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना कोड संख्या 00008/130609131 के द्वारा उचित माध्यम से प्राधिकार को प्राप्त हुआ। इसने आरोप लगाया है कि ये शिक्षा मित्र नियोजन वर्ष 2005 में शिक्षा मित्र में नियोजन हेतु मंझौरा पंचायत में आवेदन दिया था। इनका नाम मेघा सूची में क्रमांक 7 पर था लेकिन नियोजन इकाई ने इनको नियोजन सम्बन्धी सूचना नहीं दिया है। इनका यह भी आरोप है कि एक ही तिथि को पूरा नियोजन की कार्रवाई कर गलत ढ़ंग से नियोजन किया है। आरक्षण रोस्टर के बारे में इनका भी यह आरोप है कि अति पिछड़े वर्ग कोटि के पुरूष के लिए एक पद एवं महिला के लिए दो पद आवंटित था लेकिन नियोजन समिति ने तीनों पद पर पुरूष अभ्यर्थी का नियोजन किया है जो गलत है। इसी तरह पिछड़े वर्ग कोटि में एक पुरूष एवं दो पद महिला के लिए आवंटित था लेकिन नियोजन इकाई ने तीनों पद पर महिला का नियोजन किया है जो गलत है। जिला शिक्षा अधीक्षक ने जांच कर गलत रूप से नियोजित सुमन कुमार सिंह को हटाने का आदेश दिया लेकिन पंचायत ने इसका अनुपालन नहीं किया। दिनांक 26.11.2009 को मुख्यमंत्री को दिए गए आवेदन की कारवाई कर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने प्रभावित होकर एक पक्षीय जांच प्रतिवेदन दिया है जो गलत है।

4. मंझौरा पंचायत की ओर से पंचायत सचिव एवं मुखिया ने अपना-अपना जवाब दाखिल किया है कि आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया गया है और कमलेश कुमार मेहता एवं भारती कुमारी को शैक्षणिक प्रमाण-पत्र दाखिल करने के लिए नोटिश भेजा परन्तु वे लोग कागजात दाखिल नहीं किए। इसलिए इन दोनों का नियोजन नहीं किया। नियोजित शिक्षकगण भी उपस्थित होकर अपना-अपना जवाब दाखिल किए हैं। इनलोगों का जवाब है कि ये लोग पंचायत द्वारा नियुक्ति पत्र ~~मेमन्मन्त~~ योगदान के आधार पर किए थे।

21

5. सबसे पहला प्रश्न है कि सरकार द्वारा सीधी नियुक्ति में आरक्षण का किस तरह का आदेश जारी किया है। बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग पटना द्वारा सीधी भर्ती के लिए 100 बिन्दु का आदेश रोस्टर के अनुसार एवं शिक्षा मित्र में नियोजन के लिए आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण रोस्टर निम्न प्रकार होना चाहिए। इस पंचायत में 18 पद उर्दू शिक्षक को छोड़कर रिक्तियां थी। इसमें 9 पद महिला के लिए आरक्षित था और 9 पद पुरूष के लिए आरक्षित था। उपरोक्त 100 बिन्दु रोस्टर के अनुसार आरक्षण इस प्रकार होना चाहिए। पुरूष वर्ग में 5 पद अनारक्षित कोटि में तथा अति पिछड़ी जाति के लिए 2 पद आरक्षित पिछड़ी जाति के लिए 1 पद आरक्षित एवं अनुसूचित जाति के लिए एक पद आरक्षित था। इसी तरह महिला के लिए 5 पद अनारक्षित कोटि के लिए, दो पद अति पिछड़ी जाति के लिए एक पद पिछड़ी जाति के लिए एवं एक पद अनुसूचित जाति के महिला के लिए आरक्षित था।

6. अब यह देखना आवश्यक है कि पंचायत नियोजन इकाई ने आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया है या नहीं।

पुरूष वर्ग में नियोजन इस प्रकार किया गया है :-

अनारक्षित पद पर राजेश रंजन वैटेज 22 (2) रमेश कुमार मेहता वैटेज 19 (3) पवन कुमार वैटेज 17 (4) अनील कुमार वैटेज 17 (5) सुमन कुमार सिंह वैटेज 15 का नियोजन किया है। अति पिछड़ी जाती पुरूष वर्ग में दो पद आरक्षित था लेकिन नियोजन इकाई ने तीन पुरूष का नियोजन पिछड़ी जातिं के पद पर किया है। जिनका नाम इस प्रकर है :- श्री अखलेश कुमार मेहता वैटेज 10 जन्म तिथि 01.05.1984 (2) मुकेश कुमार वैटेज 10 जन्म तिथि 05.12.1973 (3) आलोक कुमार वैटेज 10 उम्र तिथि 15.08.1985 पिछड़ी जाति सीट पर किसी का नियोजन नहीं किया है। अनुसूचित जाति पद पर श्याम कुमार राम का नियोजन किया है। अपीलकर्ता कमलेश कुमार मेहता

22

205

का 22 वैटेज था इनका नियोजन नहीं करके सुमन कुमार सिंह का नियोजन किया गया है जो गलत है। अति पिछड़ी जाति कोटा में दो पद आवंटित था जिसमें तीन का नियोजन किया गया है। अतः उम्र को देखते हुए अखलेश कुमार मेहता का नियोजन को गलत कहा जा सकता है। पंचायत द्वारा यह कहना कि कमलेश कुमार मेहता को शैक्षणिक प्रमाण पत्र जमा करने के लिए डाक द्वारा नोटिश भेजा गया है। यह तर्कसंगत नहीं लगता है कि कमलेश कुमार उसी पंचायत के निवासी हैं। इसके अलावे पंचायत की कार्रवाही पुस्तिका में इसका उल्लेख नहीं है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक, मधेपुरा ने अपने जांच प्रतिवेदन दिनांक 12.10.07 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जांच समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि पंचायत द्वारा तैयार की गई वरीयता सूची में श्री मेहता का नाम अंकित है। पंचायत द्वारा नियोजन इस आधार पर नहीं किया गया कि इन्होंने मूल प्रमाण–पत्र जमा नहीं किया है। इसी अधार पर इनके स्थान पर श्री सुमन कुमार सिंह का नियोजन किया गया है। श्री कमलेश कुमार मेहता ने अपने परिवाद पत्र में स्पष्ट अंकित किया है कि विना कारण के इन्हें नियोजन से वंचित रखा गया। इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा सेन्ट्रल बैंक मंझोरा का एक प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया गया है जिसमें श्री मेहता द्वारा बैंक से ऋण लेने एवं मूल प्रमाण–पत्र बैंक में जमा होने की बात अंकित है। इस सम्बन्ध में श्री मेहता का यह कथन सही लगता है कि ससमय उनको सूचना दी गई होती तो बैंक से प्रमाण–पत्र लाकर सत्यापन कराते। इनको विना अवसर दिए दूसरे का नियोजन कर दिया गया है। पंचायत द्वारा दिए गए तथ्य को असत्य मानते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक ने श्री सुमन कुमार सिंह को कार्य मुक्त करने के लिए आदेश दिया। परन्तु अभी तक उसका अनुपालन नहीं किया गया है।

इस तरह पुरुष वर्ग में श्री सुमन कुमार सिंह एवं अखलेश कुमार मेहता का नियोजन गलत ढंग से किया गया [illegible]

23

7. महिला वर्ग में पंचायत ने इस प्रकार नियोजन किया है। अनारक्षित पाँच महिला सीट पर सिर्फ तीन का नियोजन किया है। इस पर पंचायत ने जानबूझकर कम सीट पर नियोजन किया क्योंकि कुल आवंटित सीट का जोड़ पूर्ण है। अति पिछड़ी जाति का दो सीट आरक्षित था लेकिन जानवूझ कर इन सीटों पर नियोजन नहीं किया। पिछड़ी जाति महिला के लिए एक सीट आवंटित था परन्तु नियोजन इकाई ने एक सीट के जगह पर तीन महिला मधुकला कुमारी जन्म तिथि 01.03.1977 वैटेज 10 श्रीमति किरण कुमारी जन्म तिथि 01.01. 1976 वैटेज 10 एवं मोती वाला जन्म तिथि 01.03.1977 वैटेज 10 का नियोजन किया है। अतः समान वैटेज होने के कारण जन्म तिथि को अगर चयन का आधार माना जाय तो श्रीमति किरण कुमारी को छोड़कर मधुकला कुमारी एवं मोतीवाला का नियोजन गलत कहा जा सकता है। इस तरह मोतीवाला, मधुकला कुमारी, अखलेश कुमार मेहता का नियोजन रोस्टर का उल्लंघन कर किया गया है। सुमन सिंह का नियोजन कम वैटेज था परन्तु ज्यादा वैटेज प्राप्त कमलेश कुमार मेहता का नियोजन नहीं कर नियोजन इकाई ने गलत नियोजन किया है। भारती कुमारी पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी हैं और इनको 10 वैटेज प्राप्त है। इसलिए इनका दावा नहीं बनता है। अनुसूचित जाति महिला के लिए एक सीट आवंटित था लेकिन पंचायत नियोजन इकाई ने दो अभ्यर्थी श्रीमति सुनीता कुमारी वैटेज 15 एवं सावित्री कुमारी वैटेज 10 का नियोजन किया है। इस तरह अनुसूचित जाति सीट पर सावित्री कुमारी का नियोजन गलत ढंग से रोस्टर का उल्लंघन कर किया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर रोस्टर का उल्लंघन कर अति पिछड़ी जाति पुरूष में अखलेश कुमार मेहता एवं वैटेज का उल्लंघन कर सुमन कुमार सिंह एवं महिला पिछड़ी जाति में मधुकला कुमारी एवं मोतीबाला तथा अनुसूचित जाति महिला वर्ग में सावित्री कुमारी का नियोजन गलत ढंग से किया गया है। अतः उन लोगों का नियोजन [illegible] कहा जा सकता है।

24
22

8. शिक्षा मित्र के पद पर अपीलकर्त्ता कमलेश कुमार मेहता अथवा भारती कुमारी का नियोजन किया जा सकता है या नहीं। इस सम्बन्ध में मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 108 दिनांक 01.02.07 का जिक्र करना आवश्यक है। इस पत्र में दिशा निर्देश दिया गया है कि बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2006 के प्रभावी होने की तिथि से पंचायत शिक्षा मित्र में नियोजन से सम्बन्धित पूर्व के सभी नियमावली आदि निरस्त हो गए हैं अतः 01.07.06 के बाद शिक्षा मित्र के रूप में नियोजन संभव नहीं है। अगर किसी पंचायत शिक्षा मित्र से संबंधित शिकायत प्राप्त होते हैं जाँचोपरान्त अवैद्य पाया जाता है तो उन्हें हटाया जा सकता है परन्तु उनके स्थान पर किसी नये शिक्षा मित्र का नियोजन नियमानुकूल नहीं है।

अतः उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन माननीय लोक आयुक्त, बिहार, पटना को आदेशार्थ भेजा जाता है।

प्रमाणीकरण शुल्क 26
तुलन लिपिक

COMPARED BY
Comparing Clerk

27.4.11
सदस्य
जिला शिक्षक नियोजन
अपीलीय प्राधिकार, मधेपुरा।

Certified to be a true
Head Clerk
U/S 76 Act. 1 of 1872

Annexure - 3

25

सेवा में,

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,

उदाकिशुनगंज।

विषय : CWJC No. 18071/ 11 में पारित अन्तरिम आदेश के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है मैं मधुकाला कुमारी पति अमरलाल साह ग्राम+पोस्ट मंजौरा, थाना बिहारीगंज, जिला मधेपुरा का निवासी हूं। मेरी नियुक्ति पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में मध्य विद्यालय मंजौरा में ज्ञापांक 04 05 06 दिनांक 19-05-05 के द्वारा की गई थी। निश्चित रूप से मध्य विद्यालय मंजौरा में अपना योगदान देकर नियमित रूप से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते आ रही है। दिनांक 01-07-06 से सभी पंचायत शिक्षा मित्र विधिवत् रूप से पंचायत शिक्षक के रूप में समाजांजित हो गये और मानदेय भी 4000/- प्रति माह का किया गया। इस बिन्दु पर महाशय ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगी कि दिनांक 01-07-06 तक मेरे और ग्राम पंचायत मंजौरा के किसी पंचायत शिक्षा मित्र के विरूद्ध कोई शिकायत किसी भी पदाधिकारी के जहाँ नहीं किया गया। दिनांक 01-07-2006 के बाद पहली बार जिला शिक्षा अधीक्षक मधेपुरा के पास मंजौरा ग्राम पंचायत के विरूद्ध शिकायत किया गया और अगल-अलग पदाधिकारी के पास भी शिकायत किया गया।

अन्ततः यह मामला लोकायुक्त महोदय, बिहार, पटना के पास भी पहुंचा ; उनके मार्गदर्शन पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के द्वारा जाँच की गई। अन्तोगत्वा जाँच रिपोर्ट जिला पदाधिकारी मधेपुरा को सोपा गया। जिसमें सारे शिकायत को खारिज करते हुए मेरे नियुक्ति के विरूद्ध किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गयी।

पुनः शिकायतकर्त्ता ने अपीलीए प्राधिकार मधेपुरा में अपना शिकायत दिनांक 15-06-09 को ग्राम पंचायत मंजौरा के विरूद्ध दायर किया ।

F.D.
01.12.11

अन्ततोगत्वा अपीलीए प्राधिकार, मधेपुरा ने अपने आदेश दिनांक 27.04.11 को मेरे साथ अन्य चार पंचायत शिक्षकों के नियोजन को अवैध घोषित कर दिया गया।

इस आदेश के खिलाफ मैंने पटना उच्च न्यायालय में CWJC No. 18071/11 (Madhukala Kumari Vs The State Bihar and others) दायर की। दिनांक 23.11.11 को माननीय उच्च न्यायालय ने मामले के सुनवाई करते हुए अपीलीए प्राधिकार, मधेपुरा के पारित आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित करते हुए सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया।

उपरोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए मेरे बकाये वेतन का भुगतान का आदेश निर्गत किया जाय।

इस कार्य हेतु मैं महाशय के आभारी रहूँगी।

अनुलग्नक-

दिनांक 23.11.11 को पारित आदेश।

आपका विश्वासभाजिका

मधुकला कुमारी

(मधुकला कुमारी)
पंचायत शिक्षिका
मध्य विद्यालय, मंजौरा,
ग्राम पंचायत-मंजौरा,
प्रखण्ड-उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)

प्रतिलिपि :

1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा।
2. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), मधेपुरा
3. प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज
4. सचिव, ग्राम पंचायत मंजौरा।

Annexure-1

27

सेवा में,

प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी,

उदाकिशुनगंज।

विषय : CWJC No. 18071/11 में पारित अन्तरिम आदेश के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है मै मधुकाला कुमारी पति अमरलाल साह ग्राम+पोस्ट- मजोरा, थाना- बिहारीगंज, जिला-मधेपुरा का निवासी हूँ। मेरी नियुक्ति पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में मध्य विद्यालय मंजोरा में ज्ञापांक 04-05-06 दिनांक 19-05-05 के द्वारा की गई थी। विधिवत रूप से मध्य विद्यालय मजोरा में अपना योगदान देकर नियमित रूप से अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करते आ रही हैं। दिनांक 01-07-06 से सभी पंचायत शिक्षा मित्र विधिवत् रूप से पंचायत शिक्षक के रूप में समाजांजित हो गये और मानदेय भी 4000/- प्रति महीना कर दिया गया। इस विन्दु पर महाशय ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी कि दिनांक 01-07-06 तक मेरे और ग्राम पंचायत मंजौरा. के किसी पंचायत शिक्षा मित्र के विरूद्ध कोई शिकायत किसी भी पदाधिकारी के जहाँ नहीं किया गया। दिनांक 01-07-2006 के बाद पहली बार जिला शिक्षा अधीक्षक मधेपुरा के पास मंजौरा ग्राम पंचायत के विरूद्ध शिकायत किया गया और अगल-अलग पदाधिकारी के पास भी शिकायत किया गया।

अन्तत: यह मामला लोकायुक्त महोदय, बिहार, पटना के यहाँ भी पहुँचा ; उनके मार्गदर्शन पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के द्वारा जाँच की गई। अन्तोगत्वा जाँच रिपोर्ट जिला पदाधिकारी मधेपुरा को सोपा गया। जिसमें सारे शिकायत को खारिज करते हुए मेरे नियुक्ति के विरूद्ध किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गयी।

पुनः शिकायतकर्त्ता ने अपीलीए प्राधिकार मधेपुरा में अपना शिकायत दिनांक 15-06-09 को ग्राम पंचायत मंजौरा के विरूद्ध दायर किया ।

अनुमण्डल अपीलीय प्राधिकार, मधेपुरा ने अपने आदेश दिनांक 27.01.11 को मेरे साथ अन्य चार पंचायत शिक्षकों के नियोजन को अवैध घोषित कर दिया गया।

इस आदेश के खिलाफ मैंने पटना उच्च न्यायालय में CWJC No. 15071/11 (Madhukala Kumari Vs The State Bihar and others) दायर की। दिनांक 23.11.11 को माननीय उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए अपीलीय प्राधिकार, मधेपुरा के पारित आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित करते हुए सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया।

उपरोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए मेरे बकाये वेतन का भुगतान का आदेश निर्गत किया जाय।

इस कार्य हेतु मैं महाशय के आभारी रहूँगी।

अनुलग्नक-

दिनांक 23.11.11 को पारित आदेश।

आपका विश्वासभाजिका

मधुकला कुमारी

(मधुकला कुमारी)

पंचायत शिक्षिका

मध्य विद्यालय, मंजौरा,

ग्राम पंचायत मंजौरा,

प्रखण्ड-उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)

<u>प्रतिलिपि</u> :-

1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा।
2. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), मधेपुरा
3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज।
4. सचिव, ग्राम पंचायत मंजौरा।

Annexure-5 Series.

29

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,

मधेपुरा।

विषय : CWJC No. 18071/11 में पारित अन्तरिम आदेश के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है मैं मधुकान्ता कुमारी पति अमरलाल साह ग्राम+पोस्ट- मंजौरा, थाना- बिहारीगंज, जिला-मधेपुरा का निवासी हूँ। मेरी नियुक्ति पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में मध्य विद्यालय मंजोरा में ज्ञापांक 04-05-06 दिनांक 19-05-05 के द्वारा की गई थी। विधिवत रूप से मध्य विद्यालय मजोंरा में अपना योगदान देकर नियमित रूप से अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करते आ रही है। दिनांक 01-07-06 से सभी पंचायत शिक्षा मित्र विधिवत् रूप से पंचायत शिक्षक के रूप में समाजांजित हो गये और मानदेय भी 4000/- प्रति महीना कर दिया गया। इस विन्दु पर महाशय ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी कि दिनांक 01-07-06 तक मेरे और ग्राम पंचायत मंजौरा के किसी पंचायत शिक्षा मित्र के विरुद्ध कोई शिकायत किसी भी पदाधिकारी के जहाँ नहीं किया गया। दिनांक 01-07-2006 के बाद पहली बार जिला शिक्षा अधीक्षक मधेपुरा के पास मंजौरा ग्राम पंचायत के विरूद्ध शिकायत किया गया और अगल-अलग पदाधिकारी के पास भी शिकायत किया गया।

अन्ततः यह मामला लोकायुक्त महोदय, बिहार, पटना के यहाँ भी पहुँचा ; उनके मार्गदर्शन पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के द्वारा जाँच की गई। अन्तोगत्वा जाँच रिपोर्ट जिला पदाधिकारी मधेपुरा को सोपा गया। जिसमें सारे शिकायत को खारिज करते हुए मेरे नियुक्ति के विरूद्ध किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गयी।

पुनः शिकायतकर्त्ता ने अपीलीए प्राधिकार मधेपुरा में अपना शिकायत दिनांक 15-06-09 को ग्राम पंचायत मंजौरा के विरूद्ध दायर किया।

30

अन्तोगत्वा अपीलीए प्राधिकार, मधेपुरा ने अपने आदेश दिनांक 27-04-11 को मेरे साथ अन्य चार पंचायत शिक्षकों के नियोजन को अवैध घोषित कर दिया गया।

इस आदेश के खिलाफ मैंने पटना उच्च न्यायालय के **CWJC No. 18071/11 (Madhukala Kumari Vs The State Bihar and others)** दायर की। दिनांक 23.11.11 को माननीय उच्च न्यायालय ने मामले के सुनवाई करते हुए अपीलीए प्राधिकार, मधेपुरा के पारित आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित करते हुए सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया।

उपरोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए मेरे बकाये वेतन का भुगतान का आदेश निर्गत किया जाय।

इस कार्य हेतु मै महाशय के आभारी रहूँगी।

अनुलग्नक-

दिनांक 23.11.11 को पारित आदेश।

आपका विश्वासभाजिका

मधुकला कुमारी

(मधुकला कुमारी)

पंचायत शिक्षिका

मध्य विद्यालय, मंजौरा,

ग्राम पंचायत मंजौरा,

प्रखण्ड-उदकिशुनगंज (मधेपुरा)

<u>प्रतिलिपि</u> :-

1. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), मधेपुरा
2. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज।
3. प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज
4. सचिव, ग्राम पंचायत मंजौरा।

31

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना),

मधेपुरा

विषय : CWJC No. 18071/11 में पारित अन्तरिम आदेश के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है मै मधुकाला कुमारी पति अमरलाल साह ग्राम+पोस्ट- मजोरा, थाना- बिहारीगंज, जिला-मधेपुरा का निवासी हूँ। मेरी नियुक्ति पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में मध्य विद्यालय मंजोरा में ज्ञापांक 04-05-06 दिनांक 19-05-05 के द्वारा की गई थी। विधिवत रूप से मध्य विद्यालय मजोरा में अपना योगदान देकर नियमित रूप से अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करते आ रही है। दिनांक 01-07-06 से सभी पंचायत शिक्षा मित्र विधिवत् रूप से पंचायत शिक्षक के रूप में समाजांजित हो गये और मानदेय भी 4000/- प्रति महीना कर दिया गया। इस विन्दु पर महाशय ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी कि दिनांक 01-07-06 तक मेरे और ग्राम पंचायत मंजौरा के किसी पंचायत शिक्षा मित्र के विरूद्ध कोई शिकायत किसी भी पदाधिकारी के जहाँ नहीं किया गया। दिनांक 01-07-2006 के बाद पहली वार जिला शिक्षा अधीक्षक मधेपुरा के पास मंजौरा ग्राम पंचायत के विरूद्ध शिकायत किया गया और अलग-अलग पदाधिकारी के पास भी शिकायत किया गया।

अन्तत: यह मामला लोकायुक्त महोदय, बिहार, पटना के यहाँ भी पहुँचा ; उनके मार्गदर्शन पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकेशुनगंज के द्वारा जाँच की गई। अन्तोगत्वा जाँच रिपार्ट जिला पदाधिकारी मधेपुरा को सोपा गया। जिसमें सारे शिकायत को खारिज करते हुए मेरे नियुक्ति के विरूद्ध किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गयी।

पुन: शिकायतकर्त्ता ने अपीलीए प्राधिकार मधेपरा में अपना शिकायत दिनांक 15-06-09 को ग्राम पंचायत मंजौरा के विरूद्ध दायर किया ।

अन्ततोगत्वा अपीलीए प्राधिकार, मधेपुरा ने अपने आदेश दिनांक 27.04.11 का मेरे साथ अन्य चार पंचायत शिक्षकों के नियोजन को अवैध घोषित कर दिया गया।

इस आदेश के खिलाफ मैने पटना उच्च न्यायालय के CWJC No. **18071/11 (Madhukala Kumari Vs The State Bihar** and others) दायर की। दिनांक 23.11.11 को माननीय उच्च न्यायालय ने मामले के सुनवाई करते हुए अपीलीए प्राधिकार, मधेपुरा के पारित आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित करते हुए सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया।

उपरोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए मेरे बकाये वेतन का भुगतान का आदेश निर्गत किया जाय।

इस कार्य हेतु मैं महाशय के आभारी रहूँगी।

अनुलग्नक-

दिनांक 23.11.11 को पारित आदेश।

आपका विश्वासभाजिका

मधुकला कुमारी

05-12-11

(मधुकला कुमारी)

पंचायत शिक्षिका

मध्य विद्यालय, मंजौरा,

ग्राम पंचायत-मंजौरा,

प्रखण्ड-उदकिशुनगंज (मधेपुरा)

प्रतिलिपि :

1. जिला शिक्षा पदाधिकारी; मधेपुरा।
2. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज।
3. प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज
4. सचिव, ग्राम पंचायत मंजौरा।